न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर 86

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3939-एक/2016 विरूद्व आदेश दिनांक 17-11-2016 - पारित व्दारा तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर - प्रकरण कमांक 91 अ-68/2015-16

जयदेव सिंह बुन्देला बल्द बोविन्द सिंह
ग्राम मउ सहानिया तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 12 - 2016 को पारित)

तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 91 अ-68/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका मउ ने तहसीलदार नौगाव को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मउ स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/3 रकबा 0.699 हैक्टर , जो मध्य प्रदेश शासन शासकीय भवनों हेतु आरक्षित है , पर जयदेव सिंह बुन्देला पुत्र गोविन्दसिंह ने अतिकमण करके 30X40 वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर अतिकमण कर लिया है। तहसीलदार

नौगॉव ने प्रकरण कमांक 91 अ-68/ 2015-16 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनकर आदेश दिनांक 17-11-2016 पारित किया एंव आवेदक पर 20,000/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये। शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा की गई बहस पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि पटवारी व्दारा तहसीलदार नौगॉव को अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत रिपोर्ट पर से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1314/3 रकबा 0.699 हैक्टर मध्य प्रदेश शासन व्दारा भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित है अर्थात वाद विचारित भूमि का मद भवन निर्माण हेतु सुरक्षित है जिसके 30X40 वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर आवेदक ने अतिक्रमण किया है तब क्या निर्मित पक्के मकान एंव दुकान के भाग को संहिता की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण-स्वरूप हटाया जा सकता है ?

अनुजराम विरूद्ध म0प्र0शासन 1969 राजस्व निर्णय 447 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के आश्वासन पर, कि भूमि का पट्टा दिया जायेगा, मकान निर्माण सदभावनापूर्ण किया गया, ऐसा अतिक्रमण हटाने योग्य नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को दिनांक 16-4-1999 को भूखंड कमांक 13 रकबा30X40 वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पट्टा प्रदान दिया है पट्टे की छायाप्रति तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न है । बेनीप्रसाद पाण्डेय विरूद्ध म0प्र0 राज्य 1980 रा0नि0 154

का न्याय दृष्टांत है कि आवेदक को ग्राम पंचायत ने पट्टा दिया जो इतालवी रजिस्टर में दर्ज है भवन निर्माण की ग्राम पंचायत की अनुमति है । राजस्व मण्डल ने तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पारित बेदखली आदेश , एस0डी0ओ0 का अपीलीय आदेश तथा अतिरिक्त आयुक्त का अपीलीय आदेश दिनॉक 9-9-76 निरस्त किया है एंव निगरानी स्वीकार हुई ।

विचाराधीन निगरानी प्रकरण की भी यही स्थिति है, किन्तु तहसीलदार नौगॉव ने आदेश दिनांक 17-11-16 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को ग्राम मउ की भूमि खसरा नंबर 1314/3 के 30X40 वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पटटा दिया है तथा ग्राम पंचायत व्दारा दिनॉक 25-1-2007 को आवेदक को मकान बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है , तदुपरांत आवेदक ने ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर मकान का निर्माण किया है। पूर्व में भी ग्राम न्यायालय में अतिक्रमण की शिकायत होने पर आदेश दिनॉक 30-9-2004 से अतिक्रमण न होना मानकर प्रकरण निरस्त हुआ है तथा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 30-9-2004 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष अपील हुई है जो प्रकरण कमांक 8/2004-05 अपील पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 4-4-2005 से निरस्त हुई है। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति तहसीलदार नौगॉव के प्रकरण में पृष्ठ 31 से 33 पर संलग्न है जिसके पद 3 का अॅश उद्धरण इस प्रकार है -

'' जहॉ तक गुण-दोष पर प्रकरण की स्थिति है उसमें उत्तरवादीगण को पंचायत राज एंव ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत

गठित प्रथम पंचायत में पटटे दिये हैं, द्वित्तीयं पंचायत ने उन्हें निरस्त नहीं किया है न ही किसी सक्षम अधिकारी व्दारा उन्हें अवैध घोषित किया गया है ऐसे में पटटेधारी को अतिक्रामक मानलना उचित प्रतीत नहीं होता है जिससे अधीनस्थ ग्राम न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता है। ''

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4-4-2005 अपील निगरानी के अभाव में अंतिम Res-Judicata है जिसके विरूद्व जाकर तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पुर्नविचार करने अथवा वादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं है किन्तु उनके व्दारा इन अभिलेखों के देखे बिना प्रकरण कमांक 91 अ-68/ 2015-16 पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 17-11-2016 से आवेदक के सम्बन्ध में दिये गये बेदखली आदेश को नियमानुसार होना नहीं माना जा सकता, जिसके कारण तहसीलदार व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 91 अ-68/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर